संख्या-250/2025/1609/चार-2025-1906033

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ।

सस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक:18 जून, 2025

विषय: वृहद अनुरक्षण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-264/प्रथम-112 ख(09)/25, टी0सी0-2, दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निम्नलिखित सारिणी में अंकित वृहद अनुरक्षण कार्यो को पुरातत्व विभाग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	परियोजना/स्मारक का नाम	शासनादेश संख्या/दिनॉक	कार्यदायी संस्था का नाम
1	ठकुरपुरा की गढी, झॉसी का वृहद अनुरक्षण कार्य	119/2025/960/चार-2025-1906033, दिनॉक 25.03.2025	उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग
2	डिमरौनी की गढी, झॉसी का वृहद अनुरक्षण कार्य	181/2025/964/चार-2025-1909163, दिनॉक 30.03.2025	
3	लक्ष्मण मन्दिर, पिपरई ललितपुर का वृहद अनुरक्षण कार्य	120/2025/1045/चार-2025-1906033 दिनॉक 25.03.2025	
4	मर्दन सिंह की बैठक, ललितपुर का वृहद अनुरक्षण कार्य	182/2025/1150/चार-2025-1909163, दिनॉक 30.03.2025	
5	रणछोर मन्दिर, धोजारी, ललितपुर का वृहद अनुरक्षण कार्य	121/2025/1046/चार-2025-1906033, दिनॉक 25.03.2025	
6	बडा शिवाला, सैथा, लखनऊ का वृहद अनुरक्षण कार्य	82/2025/69/चार-2025-1850372, दिनॉक 05.03.2025	
7	प्राचीन गुम्बद, बन्तीखेडा, शामली का वृहद अनुरक्षण कार्य	83/2025/70/चार-2025-1850372, दिनॉक 05.03.2025	
8	चन्द्रवाड का किला, फिरोजाबाद का वृहद अनुरक्षण कार्य	162/2025/965/चार-2025-1911175, दिनॉक 29.03.2025	

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त सारिणी में उल्लिखित प्रायोजनाओं को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है:-

(1) निदेशक, पुरातत्व द्वारा पूर्व में नामित कार्यदायी यू0पी0पी0सी0एल0 को अवमुक्त धनराशि नियमानुसार प्राप्त कर ब्याज सहित राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) उपर्युक्त सारिणी में उल्लिखित प्रायोजनाओं हेतु पूर्व में वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित आदेशों को निरस्त समझा जायेगा।

(3) निदेशक, पुरातत्व द्वारा प्रश्नगत कार्यों के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुसंगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, झाँसी/ललितपुर/लखनऊ/ शामली/फिरोजाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।